



2026:AHC-LKO:15869-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - ए संख्या - 2311 सन 2026**

भारत संघ द्वारा सचिव रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

636232 - एस पूर्व जे.डबल्यू.ओ. बबन सिंह

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कृष्ण लाल यादव**प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :**

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. 2026 में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता - भारत संघ ने दिनांक 01.02.2023 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जो कि) ए. संख्या 750/2022 (636232-एस पूर्व जे.डबल्यू.ओ. बबन सिंह (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ और अन्य) में पारित किया गया था।
2. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित निर्णय पारित होने के तीन वर्ष से अधिक समय बाद इस न्यायालय का रुख किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान प्रस्तर संख्या 22 और 23 की ओर दिलाया, जिसमें उनके अनुसार विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है। उक्त प्रस्तर इस प्रकार हैं:-

22. जहां तक रिट याचिका दाखिल करने में हुये विलंब का सवाल है, वह जानबूझकर नहीं बल्कि वास्तविक और सद्भावनापूर्ण है, जिसे माफ किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा 01.02.2023 को निर्णय सुनाया गया था।

इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्तर पर मामले की जांच की गई, जिसने निर्णय लिया कि मामला इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने योग्य है। हालांकि, यह निर्णय भारत के महान्यायाधिवक्ता की सलाह के बाद ही लिया जा सकता था, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा विकलांगता पेंशन प्रदान करने से संबंधित समान मामलों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दाखिल करने की सलाह के बाद। इसके बाद कागजात विभिन्न विभागों में भेजे गए और भारतीय वायु सेना के सक्षम अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की गई। अंततः, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका तैयार करने के लिए माननीय उप सॉलिसिटर जनरल से संपर्क किया।

23. इसके बाद आवश्यक कागजात एकत्र करने, रिट याचिका का मसौदा तैयार करने और उसे टाइप करने में कुछ समय लगा। उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका दाखिल करने में हुआ विलंब वास्तविक और जायज है और इसे माफ किया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त कथनों को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस याचिका को कितनी लापरवाही से दायर किया गया है। इसमें कोई तिथि आदि नहीं दी गई है। एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि दिनांक 01.02.2023 के निर्णय के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्तर पर मामले की जांच की गई, जिसने यह निर्णय लिया कि मामला इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने योग्य है। यह नहीं बताया गया है कि यह प्रक्रिया कब की गई और केवल इसी उद्देश्य के लिए तीन वर्ष कैसे व्यतीत हुए। इसके बाद यह कहा गया है कि भारत के महान्यायाधिवक्ता से सलाह ली गई थी। यहाँ भी, न तो सलाह संलग्न की गई है और न ही यह बताया गया है कि यह कब हुआ था। इसके बावजूद, प्रस्तर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 22 में कहा गया है कि विलंब जानबूझकर नहीं बल्कि सद्भावनापूर्ण और वास्तविक है, जिसे माफ किया जाना चाहिए। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तीन वर्ष के इस विलंब और लापरवाही का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रतार 23 में केवल इतना कहा गया है कि आवश्यक कागजात एकत्र करने, याचिका का मसौदा तैयार करने और उसे टाइप करने में कुछ समय लगा, और इस कारण याचिका दाखिल करने में हुये विलंब को वास्तविक और स्वाभाविक कहना शायद ही स्वीकार्य स्पष्टीकरण है। तीन साल के अत्यधिक विलंब के लिए इसे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता। याचिका में विलंब और लापरवाही दोनों ही पाई गई हैं।

5. केवल इसी कारण से याचिका खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 26, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।